राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद
संख्या–55 (लो0सू0अ0)/2023–24

डॉ. त्रिलोक झा, पिता–श्री राम कुमार झा, बाबा साहेब राम संस्कृत महाविद्यालय, पचाढ़ी, दरभंगा–847337

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
11.07.2023	डॉ. त्रिलोक झॉ, पिता–श्री राम कुमार झा, बाबा साहेब, राम संस्कृत महाविद्यालय, पचाढ़ी, दरभंगा–847337 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–05.07.2023 इस कार्यालय में दिनांक–11.07.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–60F 389235 दिनांक–शून्य संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें। अपीलार्थी डॉ. त्रिलोक झा ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–04.06.2023 को सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए सूचना से असंतुष्ट होने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार, राज्यपाल सचिवालय के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही डॉ. त्रिलोक झा उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–04.06.2023 की प्रति भी संलग्न है। लोक सूचना पदाधिकारी से उपर्युक्त प्रपत्र 'क' दिनांक–04.06.2023 से संबंधित अभिलेख की मॉग करें तथा अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक–27.07.2023 को उपस्थापित करें। सभी संबंधित को सूचित करें। (हस्ताक्षर) 11/7/2023 विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार ज्ञापांक–1115/रा0स0(ल)　　　　दिनांक 13.07.2023 प्रतिलिपि:- लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, पटना/डॉ. त्रिलोक झा, पिता-श्री राम कुमार झा, बाबा साहेब, राम संस्कृत महाविद्यालय, पचाढ़ी, दरभंगा 847337 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई.टी. प्रबंधक, एन.आई.सी., राजभवन, पटना को आदेश के प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित। (हस्ताक्षर) 11/7/2023 विशेष कार्य पदाधिकारी	

अपील वाद संख्या–55 (लो०सू०अ०)/2023–24

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
27.07.2023	दिनांक-11.07.2023 को पारित आदेश के क्रम में लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय का प्रतिवेदन प्राप्त है। अपीलार्थी डॉ. झा ने अपने अपील आवेदन में यह स्पष्ट नहीं किया है कि उन्हें लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-'क' दिनांक-04.06.2023 तथा 27.06.2023 के आलोक में सूचना दी गई है अथवा नहीं। लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके अनुसार उन्होंने अपीलार्थी डॉ. झा के प्रपत्र-'क' दिनांक-04.06.2023 के आलोक में सूचना अपीलार्थी को अपने पत्रांक 109, दिनांक 19.06.2023 के माध्यम से उपलब्ध करा दिया गया है। विदित हो कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना का प्रकटन किया जाना है तथा लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन उपलब्ध सूचना को आम नागरिकों को हस्तगत कराया जाना है न कि किसी शिकायत का निपटारा अथवा उस पर जांचोपरान्त किसी प्रकार की कार्रवाई। केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली द्वारा आवेदन संख्या सी0आई0सी0/डब्लू0बी0/ए0/2006/00001 पर दिनांक 11.01.2006 को पारित आदेश के अनुसार *'यदि कोई व्यक्ति यह समझता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम उसकी शिकायत के निवारण का एक यंत्र है तो यह सरासर उसका भ्रम है। कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करता है वह इसका प्रयोग इस प्रकार कर सकता है जिससे उसकी शिकायत दूर हो सके।'* अतः प्राप्त अपील आवेदन पर किसी प्रकार की अग्रतर कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तद्नुसार सभी संबंधित को सूचित करें। 27/7/2023 विशेष कार्य पदाधिकारी -सह- प्रथम अपीलीय प्राधिकार	

ज्ञापांक-12.07/रा0स0 (III) दिनांक-02-08-2023

प्रतिलिपिः- लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, पटना/डॉ. त्रिलोक झा, पिता-श्री राम कुमार झा, बाबा साहेब, राम संस्कृत महाविद्यालय, पचाढ़ी, दरभंगा-847337 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई.टी. प्रबंधक, एन.आई.सी., राजभवन, पटना को आदेश के प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित।

31/7/2023

विशेष कार्य पदाधिकारी